समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 151/गो0,(आग्नेयास्त्र) दिनांक 18-10-2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के पति श्री रंजीत कुमार पर मुरलीगंज थाना कांड संख्या -61/08, दिनांक 25-04-2008, धारा- 25 (1-बी0) ए0/ 26 शस्त्र अधिनियम एवं रंजीत कुमार के चाचा केदार यादव पर (1) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -03/02, दिनांक 24-12-2002, धारा- 147/148/ 149/ 302/ 307/120(बी0)भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम (2) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -21/04, दिनांक 25-02-2004, धारा-147/148/149/307/3384/386 भा0द0वि0 (3) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -99/06, दिनांक 15-10-2006, धारा-302/34 भा0द0वि0 (4) कुमारखंड थाना कांड संख्या- 09/2007 दिनांक 19-01-2007 धारा- 396 भा0द0वि0 (5) सौर बाजार गिना कांड संख्या- 258/06 दिनांक ......, धारा- 307/427/34 भा0द0वि0 (6) बड़हरा (रघुवंश नगर) थाना कांड संख्या-133/09, दिनांक 24-12-2009 धारा 302/120 (बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम (7) मुरलीगंज थाना कांड संख्या-86/04, दिनांक 28-04-2004, धारा- 302/201/34 भा0द0वि0 (8) बड़हरा (रघुवंशनगर) थाना कांड संख्या-36/10, दिनांक 22-02-2010, धारा- 147/148/149/307/353/504 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी0)/26/27 शस्त्र अधिनियम एवं (9) मुरलीगंज थाना कांड संख्या-139/07, दिनांक 02-10-2007, धारा- 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त है। श्रीमती पुनम देवी के नाम से एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति संख्या-01/2013 (मुरलीगंज थाना) निर्गत है, जिसे इनके पति रंजीत कुमार एवं पति के चाचा केदार यादव के अपराधिक इतिहास के कारण रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक-144,दिनांक-12/12/2013 के द्वारा श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0 पी0 बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-01/2013 को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत नहीं कराए जाने एवं विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए निलंबित कर स्पष्टीकरण पूछा गया था। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 151/गो0, दिनांक 18-10-2013 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराते हुए भी स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हो चुका है। अपने जवाब आवेदन में अंकित किया है कि मेरे उपर कोई आरोप गठित नहीं है। मेरे पति पर राजनीति एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विरोधी द्वारा आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है, जो न्यायालय के न्याय/निर्णय पर निर्भर करता है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा एवं थानाध्यक्ष, मुरलीगंज से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती पुनम देवी के पति जिनके विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत् मुरलीगंज थाना कांड संख्या -61/08,दिनांक 25-04-2008,धारा-25 (1-बी0) ए0/26 भी दर्ज किये जाने का उल्लेख है एवं इनके पास अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित होने पर शस्त्र के दुरूपयोग एवं किसी भी अप्रिय घटना की पुर्नावृति से इंकार नहीं किया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं है। प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त जवाब आवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b)(d) के आलोक में श्रीमती पुनम देवी, प्रति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति सं0-01/2013 (मुरलीगंज थाना) को "रद्द" किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगी।

श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 278 /श0, मधेपुरा, दिनांक 16-07-2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,